संख्या-85/2021/ 1424 /बावन-1-2021- अधि0(बजट)/19

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में 04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय के मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 06 माह की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1716/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा/ 2021-22, दिनांक 06.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित मद की अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-53/2021/678/बावन-1-2021-अधि0 (बजट)/19, दिनांक 28.04.2021 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में मण्डलीय तथा जिला कार्यालय हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-04 के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2420.79 लाख के सापेक्ष अवशेष 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1210.395 लाख **(रूपये बारह करोड दस लाख उनतालिस हजार पॉच सौ मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
001-निदेशन तथा प्रशासन-
04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2021-22 का बजट प्राविधान	वर्ष 2021-22 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2021-22 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 06 माह हेतु अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	1275.38	637.69	637.69
2	02-मजदूरी	3.00	1.50	1.50
3	03-मंहगाई भत्ता	382.61	191.305	191.305
4	04-यात्रा-व्यय	5.00	2.50	2.50
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	3.00	1.50	1.50
6	06-अन्य भत्ते	10.00	5.00	5.00
7	07-मानदेय	2.00	1.00	1.00
8	08-कार्यालय-व्यय	40.00	20.00	20.00
9	09-विद्युत देय	20.00	10.00	10.00
10	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	45.00	22.50	22.50
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00	4.00	4.00
12	13-टेलीफोन पर व्यय	52.50	26.25	26.25
13	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	15.00	15.00
14	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए भुगतान	20.50	10.25	10.25
15	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.00	2.50	2.50
16	42-अन्य व्यय	60.00	30.00	30.00
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.10	0.10
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.10	0.55	0.55
19	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	10.00	5.00	5.00
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	10.00	10.00
21	49-चिकित्सा व्यय	10.00	5.00	5.00
22	51-वर्दी व्यय	2.50	1.25	1.25
23	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.00	0.00	0.00
24	55-मकान किराया भत्ता	65.00	32.50	32.50
25	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
26	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	350.00	175.00	175.00
	योग	**2420.79**	**1210.395**	**1210.395**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या- 1424 (1)/बावन-1-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in